मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

क्रमांक..10285/57/2024/चयन इन्दौर दिनांक 25 OCT 2024

//विज्ञप्ति//

राज्य वन सेवा परीक्षा–2023 के पद हेतु उम्मीद्वारी निरस्त किए जाने संबंधी सूचना।

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन कमांक 33/2023 दिनांक 06.10.2023 एवं शुद्धिपत्रादी के तहत मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग के अंतर्गत राज्य वन सेवा परीक्षा–2023 के अंतर्गत **सहायक वन संरक्षक के कुल–14 (UR-04, SC-02, ST-02, OBC-04, EWS-02)** एवं **वनक्षेत्रपाल के कुल–126 (UR-00, SC-54, ST-72, OBC-00, EWS-00)** रिक्त पदो की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है । राज्य वन सेवा परीक्षा–2023 मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम दिनांक 02.09.2024 को घोषित किया गया था।

02/ राज्य वन सेवा परीक्षा–2023 के परीक्षा परिणाम दिनांक 02.09.2024 में बिन्दु क्रमांक 05 में उल्लेख किया गया है कि :–

शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्तानुसार परिशिष्ट प्रपत्र–1 अनुसार क्रम में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 23.09.2024 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें । डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नही होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा । अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने दस्तावेज आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें । जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीद्वारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों को आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जॉच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी । साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी ।"

03/ आयोग द्वारा उपरोक्त पदों के अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि **23.09.2024** निर्धारित की गई थी किन्तु **कुल–03 आवेदकों (मुख्य भाग–02 एवं प्रावधिक भाग–01)** के अभिलेख आयोग कार्यालय में आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए है अतः परीक्षा परिणाम दिनांक 02.09.2024 में विज्ञापित कंडिका क्रमांक–05 अनुसार निम्नलिखित 03 आवेदकों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी आदेशानुसार निरस्त की जाती है :–

मुख्य भाग (87–प्रतिशत)

S. No.	Mains App.No.	Roll Number	Full Name	Gender	Domicile	Category
1.	F230905002767	100635	RAKESH BANDOD	Male	Yes	ST
2.	F230205001522	101716	SADHANA SUMAN	Female	Yes	ST

प्रावधिक भाग (13–प्रतिशत)

S. No.	Mains App.No.	Roll Number	Full Name	Gender	Domicile	Category
3.	F232604000198	101944	SATYAM BISEN	Male	Yes	OBC

04/ आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि 23.09.2024 के पश्चात् मुख्य भाग (87–प्रतिशत) के निम्नलिखित **01 आवेदक** के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त होने से परीक्षा परिणाम दिनांक 02.09.2024 में विज्ञापित कंडिका क्रमांक–05 अनुसार निम्नलिखित 01 आवेदक की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी आदेशानुसार निरस्त की जाती है :–

S.No.	MainsApp.No.	Roll Number	Full Name	Gender	Domicile	Category	आयोग कार्यालय में प्राप्ति दिनांक
01	F230405001913	101145	SURENDRA JATAV	Male	Yes	SC	18-10-2024

05/ राज्य वन सेवा परीक्षा–2023 के पदों हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए गए आवेदकों को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदको की उम्मीदवारी लिखित परीक्षा परिणाम उपरांत आयोग को अभिलेख प्रस्तुत नही किए जाने एवं लिखित परीक्षा परिणाम में निर्धारित तिथि तक अभिलेख आयोग को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने से निरस्त की गई है उक्त आवेदक अपने आपत्ति अभ्यावेदन के साथ अभिलेख आयोग को प्रेषित नहीं करें।

06/ उक्त संबंध में यदि कोई आवेदक आयोग के समक्ष आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है तो आपत्ति अभ्यावेदन के साथ लिखित परिणाम में उल्लेखित अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि 23.09.2024 तक आयोग को अभिलेख जमा करने की पावती (रसीद), विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आवेदकों द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते है । निर्धारित तिथि में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के विचारोपरान्त मान्य/अमान्य किए जाएंगे । आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन, आयोग द्वारा बिना विचार किए नस्तीबद्ध किए जाएंगे। साथ ही डाक विभाग या अन्य किसी कारण से आपत्ति अभ्यावेदन, आयोग को देरी से प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अपर परीक्षा नियंत्रक
(चयन)